




INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP77597528958489U  
 Certificate Issued Date : 13-Dec-2022 03:53 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14348004/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1434800447908694217331U  
 Purchased by : DR RAJENDER PRASAD MEMORIAL EDUCATION SOCIETY  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : DR RAJENDER PRASAD MEMORIAL EDUCATION SOCIETY  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : DR RAJENDER PRASAD MEMORIAL EDUCATION SOCIETY  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

शपथ पत्र

हम, इन्द्र सिंह सांगवान, अध्यक्ष एवं विनोद कुमार, सचिव कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, 48बी० देवलोक कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित संस्था फार्मसी कालेज सिद्धार्थनगर, ग्राम भानपुर, परगना रसूलपुर, जनपद सिद्धार्थनगर (उ०प्र०) नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम पिकौरा, परगना रसूलपुर, जनपद सिद्धार्थनगर (उ०प्र०) में गाटा संख्या 190, 205, 206क, 208क, 206ख, 208ग एवं 208ख कुल रकबा 2.7714 एकड़ एवं 1.1215 हेक्टेयर भूमि है।

Important Alert:

1. The authenticity of the Stamp and the e-Stamp Mark can be verified by visiting the website www.e-stamp.gov.in or using the e-Stamp Mark App or the e-Stamp Mark App available on the website. Mobile App contains a QR code.
2. The user of e-Stamping the document is liable for any discrepancy in the certificate.
3. In case of any discrepancy please contact the Competent Authority.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 190, 205, 206क, 208क, 206ख, 208ग एवं 208ख कुल रकबा 2.7714 एकड़ एवं 1.1215 हेक्टर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी स्तरीय संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 11.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्ण कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संस्थान हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की दशा तय की जा सकती है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर सचिव

ATTESTED

Identified by

Advocate & Notary  
Baharapur (U.P.)